

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उ०प्र०।

परिपत्रांक 50/कृषि निवेश/बी-61 दिनांक लखनऊ 18 अगस्त, 2016

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,  
सहकारिता उ०प्र०।
2. समस्त सचिव/महाप्रबंधक,  
जिला सहकारी बैंक लि०।
3. समस्त जिला प्रबंधक  
पी.सी.एफ. उ०प्र०।

विषय—सहकारी समितियों के माध्यम से इफको जिंक सल्फेट, मोनो हाईड्रेट (33 प्रतिशत जिंक) की आपूर्ति एवं बिक्री दरों के सम्बन्ध में।

राज्य विपणन प्रबंधक, इफको लखनऊ ने अपने पत्रांक : 2161 दिनांक 03.08.2016 द्वारा जिंक सल्फेट मोनो हाईड्रेट (33 प्रतिशत जिंक) के 01 किग्रा व 05 किग्रा पैकिंग की आपूर्ति व कृषकों को बिक्री दरों में परिवर्तन होना सूचित करते हुए संशोधित दरें निर्गत किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त अनुरोध के क्रम में जिंक सल्फेट मोनो हाईड्रेट (33 प्रतिशत जिंक) की नवीन दरें निम्नवत संसूचित की जाती हैं :- (धनराशि ₹ में)

विवरण	01 किग्रा पैकिंग हेतु	05 किग्रा पैकिंग हेतु
सहकारी समितियों को आपूर्ति दर प्रति मी०टन	50,000.00	48,500.00
कृषकों को बिक्री दर प्रति मी०टन	54,000.00	52,000.00
सहकारी समितियों को आपूर्ति दर प्रति पैकेट	50.00	242.50
कृषकों को बिक्री दर प्रति पैकेट	54.00	260.00

इफको द्वारा समितियों को आपूर्ति एफओआर आधार पर की जायेगी। इसके लिए परिवहन मद में समिति/राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा। उक्त उत्पादों की आपूर्ति एवं वितरण हेतु समितियों/कृषकों को बाध्य नहीं किया जायेगा। यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों के साथ उक्त उत्पाद की टैगिंग नहीं की जायेगी।


(किशन सिंह अटोरिया)  
आयुक्त एवं निबंधक  
सहकारिता, उ०प्र०  
लखनऊ।

.....2/-

परिपत्रांक 50 / कृषि निवेश/बी-61 दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र० ।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० ।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०,  
मुख्यालय को वेब साईट में अपलोड करने एवं सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ ।
7. समस्त प्रबन्ध निदेशक, सहकारी शीर्ष संस्थायें, उ०प्र० ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
9. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र० ।
10. प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

  
अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ०नि०)  
सहकारिता, उ०प्र०  
लखनऊ ।